संलग्नक 3

2708/5/2018
06/03/2018

संख्या–244(1)/8-3-18-38 रिट/2016

174593
6/3/18

प्रेषक,

संजय कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

2. उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

3. उपाध्यक्ष,
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

4. उपाध्यक्ष,
आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा।

5. उपाध्यक्ष,
वाराणसी विकास प्राधिकरण,
वाराणसी।

6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ : दिनॉक : 28 फरवरी, 2018

विषय :– पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोयला अथवा लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से जनित होने वाली फ्लाई ऐश के उपयोग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि प्रकरण में विचार–विमर्श हेतु अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 07.03.2018 को विकास भवन द्वितीय तल स्थित सभाकक्ष में एक बैठक आहूत की गयी है।

2– इस संबंध में विशेष सचिव, लोक निर्माण अनुभाग–9 के पत्र संख्या–158/23–9–2018–30एसी/2014 दिनांक 15.02.2018 की छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया कोयला अथवा लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से जनित होने वाली फ्लाई ऐश के उपयोग की अद्यतन स्थिति की सूचना शासन को दिनांक 05.03.2018 तक फैक्स/ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(संजय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण

07/03/18

Verma-G.O.-2016-17

उत्तर प्रदेश शासन
लोक निर्माण अनुभाग–9
संख्या–158 /23–9–2018–30एसी/2014
लखनऊ : दिनांक 15 फरवरी, 2018

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
पर्यावरण/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/शिक्षा विभाग/
कृषि विभाग/ऊर्जा विभाग/भू–तत्व खनिकर्म विभाग/
ग्राम विकास विभाग/समाज कल्याण विभाग/
पंचायती राज विभाग/राजस्व विभाग/सिंचाई विभाग/
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/नगर विकास विभाग, उ0प्र0शासन।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोयला अथवा लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से जनित होने वाली फ्लाई ऐश के उपयोग के सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या–225, दिनांक 25.01.2016 प्रकाशित की गयी है।

2– भारत सरकार की उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 25.01.2016 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन की ओर से जारी शासनादेश संख्या–13/2017/441/55–पर्या–2–45(रिट)/2016, दिनांक 28.06.2017 (प्रति संलग्न) द्वारा प्रश्नगत अधिसूचना में दिये गये दिशा–निर्देशों का संबंधित इकाइयों एवं विभागों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

3– फ्लाई ऐश आधारित उत्पादों का निर्माण कार्यों में उपयोग किये जाने तथा संबंधित उपविधियों में आवश्यक संशोधन किये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या–1145/23–9–2016–30ए0सी0/2014, दिनांक 30.06.2016, अनुस्मारक पत्र दिनांक 24.08.2016 एवं शासनादेश संख्या–736/23–9–2016–30ए0सी0/2014, दिनांक 05.06.2017 (प्रतियां संलग्न) द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 25.01.2016 में दिये गये निर्देशों के क्रम में कार्यवाही

क्रमशः....

[illegible] निर्माण विभाग एवं [illegible]
को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी, किन्तु उक्त वांछित आख्या अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

4— इस संबंध में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में विचाराधीन रिट याचिका संख्या—549 (एम0बी0)/2016 में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.01.2017 के अनुपालन में फ्लाई ऐश के उपयोग की स्थिति से मा0 न्यायालय को अवगत कराया जाना है। अतः संबंधित विभागों द्वारा फ्लाई ऐश के उपयोग की पूर्ण सूचना की तत्काल आवश्यकता है।

5-- इसी विषय में उच्चस्तरीय विचार—विमर्श हेतु अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन की अध्यक्षता में दिनांक 26.02.2018 को अपरान्ह 04:00 बजे से विकास भवन द्वितीय तल स्थित सभाकक्ष में एक बैठक आयोजित की गयी है।

6— कृपया उक्त बैठक में पूर्ण सूचना सहित प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोक्त।

आदर सहित

(संजय कुमार उपाध्याय)
विशेष सचिव।

संख्या उपरोक्त तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
2— निजी सचिव, सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
3— प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासन के पत्र दिनांक 30.06.2016 / 05.06.2017 तथा मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन के आदेश दिनांक 28.06.2017 के अनुपालन में की गयी कार्यवाही सहित अनुपालन आख्या/टिप्पणी (बुकलेट 15 प्रतियों में) बैठक के उपयोगार्थ दिनांक 23.02.2018 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायें तथा उक्त बैठक में निर्धारित तिथि व समय पर प्रतिभाग करने का कष्ट करें।
4— विशेष सचिव, लोक निर्माण अनुभाग—9, उ0प्र0शासन।
5— संयुक्त सचिव, लोक निर्माण अनुभाग—9, उ0प्र0शासन।

आज्ञा से,

(भास्कर पाण्डेय)
अनु सचिव।

[illegible] के [illegible], [illegible] तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित [illegible] में 15 प्रतिशत फ्लाई ऐश उपयोग किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित [illegible] कृत कार्यवाही की सूचना/अनुपालन आख्या लोक निर्माण विभाग [illegible] पर्यावरण विभाग को 15 दिन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुरेश कुमार)
विशेष सचिव

संख्या उपरोक्त तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2– प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि फ्लाई ऐश के उपयोग के संबंध में शासन द्वारा निर्गत आदेश दिनांक 30.06.2016 की अनुपालन आख्या/कृत कार्यवाही की सूचना 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3- निदेशक पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4– प्रबन्ध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ।
5– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 लखनऊ
6 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(भास्कर पाण्डेय)
अनु सचिव।

[illegible] वहन की जाएगी और 100 किलोमीटर की परिधि से परे और 300 किलोमीटर की परिधि के भीतर ऐसे परिवहन की लागत को उपभोक्ता और कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र के बीच समान रूप से अंश भाजित की जाएगी।

4. कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र अपने परिसरों के भीतर या अपने परिसरों के आस–पास ऐश आधारित उत्पाद संनिर्माण सुविधाओं का संवर्धन करेंगे, उन्हे अपनाएंगे और उनकी स्थापना करेंगे।(वित्तीय और अन्य सहबद्ध अवसंरचना)

5. नगरों के आस–पास बने कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र ऐश आधारित उत्पाद विनिर्माण इकाइयों का संवर्धन करेंगे और उनकी सहायता करेंगे ताकि ईंटो और अन्य भवन संनिर्माण सामग्रियों की अपेक्षाओं की पूर्ति की जा सके और साथ ही परिवहन में कमी की जा सकें।

6. यह सुनिश्चित करने के लिये कि किसी सड़क संनिर्माण का संविदाकार सड़क निर्माण में ऐश का उपयोग करता है, सड़क संनिर्माण के लिये संबद्ध प्राधिकारी संविदाकार को किए जाने वाले संदाय को तापीय विद्युत संयंत्र से ऐश के प्रदाय के प्रमाणीकरण के साथ जोड़ेगा।

7. कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र, 300 किलोमीटर की परिधि के भीतर प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अधीन सड़क संनिर्माण परियोजनाओं और भवनों सड़कों, बांधों और तटबन्धों के संनिर्माण को अंतर्वलित करने वाले सरकार के आस्ति सृजन कार्यक्रमों के स्थल तक ऐश के परिवहन की सम्पूर्ण लागत का वहन करेगा।

8. विभिन्न संनिर्माण परियोजनाओं का अनुमोदन करने वाले सभी राज्य प्राधिकारियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि फ्लाई ऐश का उपयोग करने या फ्लाई ऐश आधारित उत्पादों के लिये तापीय विद्युत संयंत्रों और संनिर्माण अभिकरण या संविदाकारों के बीच परस्पर समझ ज्ञापन या कोई अन्य ठहराव किया जाता है।

9. राज्य प्राधिकारी, दस लाख या अधिक की जनसंख्या वाले नगरों की भवन निर्माण सम्बन्धी उप विधियों का संशोधन करेंगे ताकि भार वहन करने वाली संरचनाओं हेतु तकनीकी अपेक्षाओं के अनुसार आवश्यक विनिर्देशों को ध्यान में रखते हुये ऐश आधारित ईंटों के आज्ञापक उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके।

10. सम्बद्ध प्राधिकारी सभी सरकारी स्कीमों या कार्यक्रमों में, उदाहरणार्थ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 (मनरेगा), स्वच्छ भारत अभियान, शहरी और ग्रामीण आवासन स्कीम, जहां संनिर्मित क्षेत्र एक हजार वर्ग फुट से अधिक है और अवसंरचना सम्बन्धी संनिर्माण में, जिसके अन्तर्गत अभिहित औद्योगिक संपदाओं या पार्कों या विशेष आर्थिक जोनों में भवन निर्माण भी है, ऐश आधारित ईंटो या उत्पादों के आज्ञापक उपयोग को सुनिश्चित करेंगे।

[illegible] निर्माणकार्यों [illegible] अनुपूरक के रूप में उपयोग का [illegible] पर विचार कर सकता।

3— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा निर्गत उक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये नोडल विभाग लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें तथा फ्लाई ऐश ब्रिक मैन्यूफैक्चरिंग एसोसियेशन द्वारा राज्य में स्थित फ्लाई ऐश ब्रिक मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयों की सूची लोक निर्माण विभाग/ऊर्जा विभाग को उपलब्ध करायी जाये तथा इन विभागों द्वारा इकाइयों की सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड की जाये।

भवदीय,

(राहुल भटनागर)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, एन0टी0पी0सी0, एन0टी0पी0सी0 भवन, स्कोप काम्पलेक्स, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली-- 110003
4. अध्यक्ष, फ्लाई ऐश ब्रिक मैन्यूफैक्चरर्स एण्ड प्रोमोटर्स एसोसियेशन, 5, स्वप्न लोक अपार्टमेंट, आई.वी.आर.आई. रोड, बरेली।
5. फ्लाई ऐश ब्रिक मैन्यूफैक्चरर्स एसोसियेशन दिल्ली, एन0सी0आर0 रीजन, 178, ब्लाक—III, गंगा शापिंग काम्प्लेक्स, सेक्टर—2, नोयडा—201301, उ0प्र0।
6. मैसर्स हिन्डालको इण्ड0 लि0, (पावर डिवीजन) रेनूकूट, सोनभद्र।
7. मैसर्स लैंको अनपरा पावर लि0, अनपरा, सोनभद्र।
8. मैसर्स बजाज इनर्जी प्रा0 लि0, कुन्दरकी गोंडा/ईटइमैदा, उतरौला, बलरामपुर/ग्राम व पोस्ट मकसूदपुर, शाहजहाँपुर/ग्राम—बरखेड़ा, बीसलपुर, पीलीभीत।
9. मैसर्स रोजा पावर सप्लाई कं0 लि0, हरदोई रोड, शाहजहाँपुर।
10. मैसर्स ललितपुर पावर जनरेशन, जनपद—ललितपुर।
11. मैसर्स प्रयागराज पावर, इलाहाबाद।

आज्ञा से,

/

(उमेश चन्द्र)
अनु सचिव